# महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(नैक द्वारा 'ए' ग्रेड प्रमाणित)

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र)

**Website :** www.hindivishwa.org

# विद्या-परिषद की

# 47वीं बैठक का कार्यवृत्त

| | | |
|---|---|---|
| दिनांक | : | 05 जनवरी, 2026 (सोमवार) |
| समय | : | पूर्वाह्न 10.00 बजे |
| स्थान | : | महादेवी वर्मा सभागार<br>विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा |

# महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

ज्ञान शान्ति मैत्री

## विद्या परिषद् की 47वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 05.01.2026 (सोमवार)

समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे

स्थान : महादेवी वर्मा सभागार, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

| मद सं. | विवरण | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| 1 | विद्या–परिषद् की 45वीं एवं 46वीं बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि। | 2 |
| 2 | विद्या–परिषद् की 45वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गयी अनुवर्ती कार्रवाई। | 3 |
| 3 | विद्या–परिषद् सदस्य के रूप में नामांकन | 7 |
| 4 | प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टरों में उत्तीर्णता की अनिवार्यता से संबंधित पूर्व प्रावधान में संशोधन। | 8 |
| 5 | विभिन्न प्रमाण-पत्र, अंकपत्र एवं उपाधि हेतु शुल्क-दर। | |
| 6 | प्रवेश समिति की बैठकों के कार्यवृत्त । | 9 |
| 7 | विभिन्न विद्यापीठों के स्कूल बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुतियों पर विचार। | |
| 8 | शैक्षणिक सत्र: 2026-27 से प्रभावी नयी शुल्क संरचना के निर्धारण हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन। | 10 |
| 9 | सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (CUET) के माध्यम से प्रवेश हेतु विवरण तैयार करने गठित समिति का प्रतिवेदन। | 11 |
| 10 | भारतीय ज्ञान परम्परा विश्वकोश प्रकाशन हेतु संक्षिप्त प्रस्ताव। | 13 |
| 11 | अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।<br>विद्यार्थी प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार | |

# महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

## -: कार्यवृत्त :-

## विद्या–परिषद् की 47वीं बैठक

विद्या–परिषद् की 47वीं बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 05.01.2026 (सोमवार) को पूर्वाह्न 10:00 बजे महादेवी वर्मा सभागार, तुलसी भवन, वर्धा में आयोजित हुई।

बैठक में सदस्यों की निम्नानुसार उपस्थिति रही :

| अ.क्र. | नाम और पद |
|---|---|
| 01 | प्रो. कुमुद शर्मा<br>कुलपति एवं अध्यक्ष |
| 02 | प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल<br>अधिष्ठाता, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ<br>अध्यक्ष, अनुवाद अध्ययन विभाग<br>अध्यक्ष, श्री चमनलाल प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग<br>अध्यक्ष, तुलनात्मक साहित्य विभाग<br>निदेशक, पराविद्या उच्च शोध एवं ज्ञान सर्जन केंद्र |
| 03 | प्रो. प्रीति सागर<br>अधिष्ठाता, भाषा विद्यापीठ<br>अध्यक्ष, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा अध्ययन विभाग<br>अध्यक्ष, भाषा प्रौद्योगिकी एवं भाषा अभियांत्रिकी विभाग |
| 04 | प्रो. फरहद मलिक<br>अधिष्ठाता, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ<br>अध्यक्ष, मानवविज्ञान विभाग, अध्यक्ष, जनसंचार विभाग<br>अध्यक्ष, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान विभाग |
| 05 | प्रो. अवधेश कुमार<br>अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ, अधिष्ठाता, संस्कृति विद्यापीठ एवम् अधिष्ठाता, छात्र कल्याण<br>अध्यक्ष, हिंदी साहित्य विभाग<br>अध्यक्ष, मराठी साहित्य विभाग, अध्यक्ष, संस्कृत साहित्य विभाग<br>निदेशक, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर सिदो-कान्हू-मुर्मु-दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र<br>निदेशक, डॉ. भदन्त आनन्द कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केंद्र |

कादर नवाज़
07/01/26

| | |
|---|---|
| 06 | प्रो. गोपाल कृष्ण ठाकुर<br>अधिष्ठाता, शिक्षा विद्यापीठ<br>अधिष्ठाता, प्रबंधन विद्यापीठ<br>अध्यक्ष, शिक्षा तथा मनोविज्ञान विभाग |
| 07 | प्रो. जनार्दन कुमार तिवारी, अधिष्ठाता, विधि विद्यापीठ एवम् अध्यक्ष, विधि विभाग |
| 08 | डॉ. ओमप्रकाश भारती, अध्यक्ष, प्रदर्शनकारी कला विभाग **(ऑनलाइन)** |
| 09 | डॉ. रविंद्र टी. बोरकर, अध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग |
| 10 | डॉ. एच.ए. हुनगुंद, अध्यक्ष, भाषाविज्ञान विभाग |
| 11 | डॉ. के. बालराजु, निदेशक, वर्धा समाज कार्य संस्थान |
| 12 | डॉ. राकेश कुमार मिश्र, अध्यक्ष, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग |
| 13 | डॉ. अवंतिका शुक्ला, अध्यक्ष, स्त्री अध्ययन विभाग **(ऑनलाइन)** |
| 14 | डॉ. विपिन कुमार पाण्डेय, अध्यक्ष, दर्शन एवं संस्कृति विभाग |
| 15 | प्रो. कृपाशंकर चौबे, प्रोफेसर |
| 16 | प्रो. अखिलेश कुमार दुबे, प्रोफेसर एवं अकादमिक निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज **(ऑनलाइन)** |
| 17 | प्रो. आनन्द पाटील, प्रोफेसर |
| 18 | प्रो. दिंगबर तंगलवाड, प्रोफेसर |
| 19 | डॉ. अमित राय, एसोशिएट प्रोफेसर **(ऑनलाइन)** |
| 20 | डॉ. अमरेन्द्र कुमार शर्मा, एसोशिएट प्रोफेसर |
| 21 | डॉ. जयन्त उपाध्याय, एसोशिएट प्रोफेसर |
| 22 | डॉ. प्रियंका मिश्र, एसोशिएट प्रोफेसर |
| 23 | डॉ. निशीथ राय, सहायक प्रोफेसर |
| 24 | डॉ. रूपेश कुमार सिंह, सहायक प्रोफेसर |
| 25 | डॉ. रेणु सिंह, सहायक प्रोफेसर |
| 26 | डॉ. राजीव रंजन राय, सहायक प्रोफेसर |
| 27 | प्रो. खेमसिंह डहेरिया, पूर्व कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल **(ऑनलाइन)** |
| 28 | प्रो. शकुन्तला मिश्रा, विश्व भारती, शान्तिनिकेतन (पश्चिम बंगाल) **(ऑनलाइन)** |
| 29 | प्रो. नरेन्द्र मिश्र, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली **(ऑनलाइन)** |
| 30 | श्री अश्वनी कुमार मौर्य, शोधार्थी प्रतिनिधि |
| 31 | सुश्री वेदिका मिश्रा, विद्यार्थी प्रतिनिधि |
| 32 | श्री. क़ादर नवाज़ ख़ान, कुलसचिव (कार्यवाहक) एवं पदेन सचिव |
| 33 | डॉ. सुरेन्द्र पी गादेवार, परीक्षा नियंत्रक - विशेष आमंत्रित |
| 34 | श्री पी. सरदार सिंह, वित्त अधिकारी (कार्यवाहक) – स्थायी आमंत्रित |

विश्वविद्यालय के कुलगीत से बैठक का प्रारम्भ हुआ।

**मद संख्या–01: विद्या–परिषद् की 45वीं एवं 46वीं बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि।**

विद्या–परिषद् की दिनांक 30.07.2025 (विस्तारित 11.08.2025 एवं 12.08.2025) को आयोजित 45वीं बैठक तथा दिनांक 26.11.2025 को सम्पन्न 46वीं (आकस्मिक) बैठक के कार्यवृत्त की प्रतियाँ विद्या-परिषद् के समस्त माननीय सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की गयी थीं।

क़ादर नवाज़
07/01/26

इस सम्बन्ध में किसी सदस्य से कोई टिप्पणी/अभिमत प्राप्त नहीं हुआ है, उपरोक्त के आलोक में, दोनों बैठकों के कार्यवृत्त सम्पुष्टि हेतु विद्या–परिषद् के समक्ष **परिशिष्ट–1 एवम् परिशिष्ट–2** के रूप में प्रस्तुत हैं।

**निर्णय : : विद्या–परिषद् ने 45वीं एवं 46 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।**

**मद संख्या–02: विद्या–परिषद् की 45वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गयी अनुवर्ती कार्रवाई।**

विद्या–परिषद् की 45वीं बैठक दिनांक 30.07.2025 (विस्तारित 11.08.2025 एवं 12.08.2025) को सम्पन्न हुई, बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन में की गयी अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है –

| मद | विवरण | की गई कार्यवाही |
|---|---|---|
| 08 | सुश्री रेणु शर्मा, शोधार्थी पीएच.डी. (सत्र 2012–13) प्रदर्शनकारी कला विभाग का पीएच.डी. प्रकरण | शोधार्थी द्वारा शोध प्रबंध जमा किया गया है। विभाग से विषय विशेषज्ञों के नाम प्राप्त हो गए है। मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। |
| 09 | अंशकालिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से पीएच.डी. (Part Time Ph.D) | अंशकालिक शिक्षा पद्धति से संबंधित अध्यादेश तैयार किए जाने हेतु समिति गठन की प्रक्रिया की जा रही है। |
| 10 | स्नातक ऑनर्स में पाठ्यक्रमों को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में तथा अंकपत्रों में विद्यापीठ अथवा अधिसत्र संख्या लेखन संबंधी त्रुटि | विद्या-परिषद के निर्णय के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक 003/2019/स.नि.अनु./324/2025/249, दिनांक 09.09.2025 के माध्यम से समिति का गठन किया गया था।<br>**समिति द्वारा की गई निम्नांकित अनुशंसाओं को स्वीकृति प्रदान की गई :**<br>**1. सत्र 2021-24 के बी.ए ऑनर्स कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किए गए अंकपत्रों पर स्नातक कार्यक्रम एवं ऑनर्स विषय के विद्यापीठ का नाम अंकित किया जाए। पूर्व में जारी ऑनर्स कार्यक्रम के अंकपत्रों को, जहाँ त्रुटियाँ हैं, रद्द करते हुए पुनः अंक-पत्र जारी किया जाए।**<br>**2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत संचालित सत्र 2022 के बाद के कार्यक्रमों में अंकपत्रों के प्रारूप की समीक्षा हेतु 5 प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों यथा दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया** |

कादर नवाज़
07/01/26

| | | |
|---|---|---|
| | | **विश्वविद्यालय, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय से अंकपत्रों के प्रारूप मंगाकर उनकी समीक्षा हेतु अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।** |
| 11 | श्री चेतन सिंह, पीएच.डी. शोधार्थी निलंबन आदेश निरस्तीकरण एवम् पुन: प्रवेश हेतु अनुरोध पर विचार | विभाग द्वारा मौखिकी संबंधी प्रक्रिया की जा रही है।<br>**निर्णय : विभागाध्यक्ष से यथाशीघ्र कार्यवाही हेतु कहा गया।** |
| 12 | पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2022–23 प्रक्रिया की प्रगति, स्थगन, जाँच प्रतिवेदन एवम् यूजीसी के नवीन दिशा–निर्देशों के आलोक में आगामी अपेक्षित कार्यवाही के सम्बन्ध में। | प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। अधिवक्ता से विधिक परामर्श लिए जाने हेतु पत्रांक 006/Estt./Legal/AC/2025/19/1339 दिनांक 26.09.2025 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया था। अधिवक्ता से प्राप्त विधिक परामर्श विद्या-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।<br>**निर्णय : अधिवक्ता द्वारा दिये गये अभिमत को पढ़ा गया और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया गया।** |
| 13 | विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाणपत्रों के सत्यापन हेतु शुल्क निर्धारण | मद संख्या 13 के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाणपत्रों के सत्यापन हेतु शुल्क निर्धारण के संदर्भ में लिए गए निर्णय, जिसकी स्वीकृति कार्य-परिषद् की 86वीं बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या 11 के अंतर्गत प्रदान की गई है, के अनुसरण में अधिसूचना क्र. 04/परी/वि.सं.एवं.वि.प./2025/07/3002 दिनांक 24.09.2025 को जारी की गई। |
| 14 | आन्तरिक मूल्यांकन सेमिनार, टर्म पेपर (सत्रीय पत्र), मौखिकी, परियोजना कार्य इत्यादि के आन्तरिक अंक सम्बन्धी प्रपत्र | मद संख्या-14 पर आंतरिक मूल्यांकन सेमिनार, टर्म पेपर (सत्रीय पत्र), मौखिकी, परियोजना कार्य इत्यादि के आंतरिक अंक संबंधी प्रपत्र के संबंध में लिए गए निर्णय, जिसकी स्वीकृति कार्य-परिषद् की 86वीं बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या-11 के अंतर्गत की गई है, के अनुसरण में अधिसूचना क्र. 04/परी/वि.सं.एवं.वि.प./2025/07/3119 दिनांक 18/11/2025 एवं क्र. 04/परी/वि.सं.एवं.वि.प./ |

कादर नवाज़
07/01/26

| | | |
|---|---|---|
| | | 2025/07/3129 दिनांक 21/11/2025 को जारी की गई। |
| 16 | एम.फिल. शोध मूल्यांकन एवम् मौखिकी परीक्षा : सुश्री चंचल कुमारी (सत्र 2019–21) प्रकरण | मद संख्या-16 पर एम.फिल. शोध मूल्यांकन एवं मौखिकी परीक्षा: सुश्री चंचल कुमारी (सत्र 2019-21) प्रकरण के संदर्भ में लिए गए निर्णय के अनुपालन में छात्रा सुश्री चंचल कुमारी का एम. फिल. कार्यक्रम का तृतीय एवं सकल अधिसत्र का परीक्षा परिणाम पत्रांक 04/परी/एम.फिल.शि.शा./2029-21/2994 दिनांक 23/09/2025 को घोषित किया गया। |
| 18 | विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक एवम् परास्नातक कार्यक्रमों में विदेशी छात्रों के लिए सीटें निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में | विद्या-परिषद के निर्णय के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक 003/2019/स.नि.अनु./324/2025/245, दिनांक 09.09.2025 के माध्यम से प्रवेश क्षमता की पुनर्समीक्षा हेतु समिति का गठन किया गया था। इस पर स्वीकृति के उपरांत 25% सीटों का निर्धारण कर इसका सृजन किया जाएगा।<br>**निर्णय : समिति को अनुशंसाओं पर पुनर्विचार करने हेतु कहा गया।** |
| 26 | पूर्व वर्ष के दोनों सेमेस्टरों में उत्तीर्णता के सम्बन्ध में प्रस्ताव | मद संख्या-26 के अंतर्गत पूर्व वर्ष के दोनों सेमेस्टरों में उत्तीर्णता संबंधी प्रस्ताव के संदर्भ में लिए गए निर्णय, जिसकी स्वीकृति कार्य-परिषद् की 86वीं बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या ।। के अंतर्गत प्रदान की गई है, के अनुसरण में दिनांक 24.09.2025 को अधिसूचना क्र. 04/परी/वि.सं.एवं.वि.प./2025/07/3001 जारी की गई। इसे पुनर्विचारार्थ / संशोधन हेतु पुन: विद्या-परिषद् में रखा जा रहा है।<br>**इस पर मद संख्या 04 में निर्णय लिया गया।** |
| 28 | परीक्षा सम्बन्धी कार्य हेतु मानदेय के सम्बन्ध में | मद संख्या-28 पर परीक्षा संबंधी कार्य हेतु मानदेय के संबंध में लिए गए निर्णय के अनुसरण में वित्त समिति की 40वीं बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या 15/2025-26 'परीक्षा संबंधी विभिन्न कार्यों एवं दायित्वों के लिए मानदेय दर के निर्धारण से संबंधित |

कादर नवाज़
07/01/26

| | | |
|---|---|---|
| | | लिए गए निर्णय, जिसका अनुमोदन कार्य-परिषद् की 86वीं बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या-12 पर किया गया है, के अनुसरण में दिनांक 24.09.2025 को अधिसूचना क्रमांक 04/परी/वि.सं.एवं.वि.प./2025/07/3003 जारी की गई। |
| 29 | सुश्री आरती, शोधार्थी, पीएच.डी. की खुली मौखिकी कराने के सम्बन्ध में | मद संख्या-29 पर शोधार्थी सुश्री आरती की पीएच.डी. खुली मौखिकी कराने के संबंध में मद संख्या-01 के अंतर्गत लिए गए निर्णय के अनुसरण में दिनांक: 08/08/2025 को संबंधित विभाग द्वारा सुश्री आरती की पीएच.डी. खुली मौखिकी संपन्न कराई गई। अधिसूचना जारी होने की प्रक्रिया जारी है।<br>**निर्णय : विभागाध्यक्ष द्वारा सुश्री आरती, शोधार्थी, पीएच.डी. की अधिसूचना यथाशीघ्र जारी किये जाने की सूचना दी गयी।** |
| 32 | प्रवेश क्षमता की पुनर्समीक्षा हेतु समिति गठन का प्रस्ताव | विद्या-परिषद के निर्णय के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक 003/2019/स.नि.अनु./324/2025/245, दिनांक 09.09.2025 के माध्यम से समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट अवलोकनार्थ संलग्न है। |
| 33 | शैक्षणिक सत्र 2026–27 से प्रभावी नयी शुल्क संरचना निर्धारण हेतु समिति गठन का प्रस्ताव | विद्या-परिषद के निर्णय के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक 003/2019/स.नि.अनु./324/2025/246, दिनांक 09.09.2025 के माध्यम से समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।<br>**इस पर मद संख्या 08 में निर्णय लिया गया।** |
| 34 | प्रवेश नीति के पुनर्निर्धारण हेतु समिति गठन का प्रस्ताव | विद्या-परिषद के निर्णय के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक 003/2019/स.नि.अनु./324/2025/247, दिनांक 09.09.2025 के माध्यम से समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है। |
| 36 | प्रस्तावित नये कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुमोदन का प्रस्ताव | विद्या-परिषद के निर्णय के अनुसरण में अधिसूचना क्र. 04A/प्र.प्र./NTA-CUET/प्रवेश प्रक्रिया/2025-26/3189 दिनांक 10.11.2025 जारी की गई है तथा |

कादर नवाज़
07/01/26

| | | |
|---|---|---|
| | | सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया में इन कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है। |
| 38 | राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत बहुस्तरीय प्रवेश एवम् निर्गमन प्रणाली के लिए समिति गठन पर विचार | विद्या-परिषद के निर्णय के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक 003/2019/स.नि.अनु./324/2025/248, दिनांक 09.09.2025 के माध्यम से समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।<br>**निर्णय : राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के संबंध में गठित सभी समितियों को सम्मिलित करते हुए एक ही समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।** |
| 45 | राइटर-इन-रेजिडेन्स की नियुक्ति | कार्य-परिषद् की 86वीं बैठक दिनांक 18.08.2025 में स्वीकृति के उपरांत श्री भूषण भावे ने 15.10.2025 को तथा श्रीमती क्षमा कौल ने 11.12.2025 को राइटर-इन-रेजिडेन्स के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। |
| 50(2) | आवासीय अवधि पूर्ण नहीं किये शोधार्थियों को पीएच.डी. पूर्ण करने की अनुमति। | विद्या-परिषद के निर्णय के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक 003/2019/स.नि.अनु./324/2025/221, दिनांक 20.08.2025 के माध्यम से समिति का गठन किया गया था।<br>**निर्णय : शोध के दौरान शासकीय सेवा में नियुक्त शोधार्थियों को शेष आवासीय अवधि विश्वविद्यालय में रहकर पीएच.डी. हेतु निर्धारित अधिकतम अवधि में शोध कार्य पूर्ण करने की अनुमति दी जाये।** |

**विद्या-परिषद् ने कृत कार्यवाही का संज्ञान लिया।**

**मद संख्या–03: विद्या–परिषद् सदस्य के रूप में नामांकन**

विश्वविद्यालय के परिनियम 14 (1) (जे) जो कि निम्नानुसार है –

***14 (1) (j) Four persons not in the service of the University co–opted by the Academic Council for their knowledge.***

– के अनुसार विद्या–परिषद् में चार बाह्य–विशेषज्ञों को विद्या–परिषद् द्वारा सह–योजित (co–opt) करने का प्रावधान है। उपर्युक्त प्रावधान के अन्तर्गत विद्या परिषद् ने प्रो. खेमसिंह डहेरिया, पूर्व कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल, प्रो. रसाल सिंह, रामानुजन महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, प्रो. शकुंतला मिश्रा, विश्व भारती, शांतिनिकेतन (पश्चिम बंगाल) और प्रो. नरेन्द्र मिश्र, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को बाह्य-विशेषज्ञ

कादर नवाज़
07/01/26

के रूप में सह-योजित किया था, परंतु **प्रो. रसाल सिंह, रामानुजन महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली** द्वारा उनकी अकादमिक एवम् पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण उन्हें विद्या-परिषद की सदस्यता से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है।

उनके स्थान पर किसी अन्य बाह्य–विशेषज्ञ को सह–योजित (co–opt) करने का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय : : विद्या–परिषद् ने प्रो. रणजित बेहेरा, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली को विद्या-परिषद में बाह्य–विशेषज्ञ के रूप में सह–योजित (co–opt) करने का निर्णय लिया।**

**मद संख्या–04: प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टरों में उत्तीर्णता की अनिवार्यता से संबंधित पूर्व प्रावधान में संशोधन।**

विद्या परिषद् की 45वीं बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या-26 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया था कि प्रथम वर्ष (प्रथम एवं द्वितीय अधिसत्र) के सभी प्रश्न-पत्रों में उत्तीर्ण हुए बिना विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

चूंकि द्वितीय सेमेस्टर की पूरक परीक्षा आगामी द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के साथ ही आयोजित होती है, जिसके कारण विद्यार्थियों को द्वितीय सेमेस्टर को पूर्ण रूप से उत्तीर्ण करने का पृथक अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। परिणामस्वरूप, उपर्युक्त प्रावधान के कारण विद्यार्थी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा से वंचित होने के चलते एक वर्ष के सत्र-विलंब का सामना कर रहे हैं।

विद्यार्थियों के हित में तथा उनके अनावश्यक सत्र-विलंब को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्तावित है कि प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की सभी प्रश्न-पत्रों में सफल होना अनिवार्य होने का प्रावधान **द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर के स्थान पर तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु** लागू किया जाए।

अतः उपर्युक्त बिंदुओं के आलोक में इस प्रावधान में संशोधन के संदर्भ में पुनर्विचार किए जाने हेतु यह प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में विद्या परिषद् एवं कार्य परिषद् की स्वीकृति के अनुपालन में इस संबंध में विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र. 04/परी/वि.सं.एवं.वि.प./2025/07/3001 दिनांक 24.09.2025 को जारी की जा चुकी है। (**पृ. सं. 18**)

**निर्णय : : विद्या–परिषद् ने विद्यार्थियों के हित में तथा उनके अनावश्यक सत्र-विलंब को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की सभी प्रश्न-पत्रों में सफल होना अनिवार्य होने का प्रावधान में संशोधित करते हुए द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर के स्थान पर तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु लागू करने का निर्णय लिया।**

**मद संख्या–05: विभिन्न प्रमाण-पत्र, अंकपत्र एवं उपाधि हेतु शुल्क-दर।**

विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रमाण-पत्र, अंकपत्र एवं उपाधि निर्गत करने हेतु शुल्क-दर के संदर्भ में वर्तमान में अंकपत्र संशोधन, उपाधि की द्वितीय प्रति, माइग्रेशन प्रमाणपत्र, ट्रांसक्रिप्ट संबंधी कार्य हेतु निम्नानुसार दर लागू है, जिसे पुनर्निर्धारित किए जाने हेतु विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है:

| क्र. सं. | प्रमाणपत्र | वर्तमान दर |
|---|---|---|
| 1 | संशोधित अंकपत्र/ द्वितीय प्रति | 200/- प्रति अंक-पत्र |
| 2 | संशोधित उपाधि | 200/- प्रति उपाधि |
| 3 | माइग्रेशन प्रमाण-पत्र | 150/- + 25/- डाकव्यय |

कादर नवाज़ 07/01/26

| | | |
|---|---|---|
| 4 | ट्रांसक्रिप्ट | 500/- प्रति कार्यक्रम |
| 5 | अस्थायी प्रमाण-पत्र | वर्तमान में नि:शुल्क है |
| 6 | दीक्षांत मूल उपाधि पंजीकरण शुल्क | 100/- |

**निर्णय : : विद्या–परिषद् ने प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु पूर्व में निर्धारित दर को यथावत रखने का निर्णय लिया।**

**मद संख्या– 06: प्रवेश समिति की बैठकों के कार्यवृत्त।**

विश्वविद्यालय में अकादमिक सत्र 2025–26 में विभिन्न विभागों में प्रवेश की स्थिति और अगले वर्ष की योजना के संबंध में प्रवेश समिति का प्रतिवेदन/कार्यवृत्त अवलोकन एवम् अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं। **(पृष्ठ संख्या 28-32)**

**निर्णय : : विद्या–परिषद् ने अकादमिक सत्र 2025–26 में विभिन्न विभागों में प्रवेश की स्थिति और अगले वर्ष की योजना के संबंध में प्रवेश समिति के प्रतिवेदन/कार्यवृत्त का अवलोकन किया और CUET में पंजीकरण स्थिति को देखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों में खुली प्रवेश प्रक्रिया के लिए पंजीयन प्रक्रिया भी CUET के साथ-साथ प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया। साथ ही, प्रवेश हेतु CUET के माध्यम से पंजीकृत आवेदकों को प्राथमिकता दिये जाने तथा शेष रिक्त स्थानों पर खुली प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत वरीयता के आधार पर प्रवेश दिये जाने का निर्णय लिया। विभागाध्यक्षों द्वारा प्रवेश हेतु अपने-अपने विभाग से एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।**

**मद संख्या–07: विभिन्न विद्यापीठों के स्कूल बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुतियों पर विचार।**

1. **शिक्षा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त।**

   विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 17वीं बैठक दिनांक 12.12.2025 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड का कार्यवृत्त अवलोकन/विचार–विमर्श/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

   **निर्णय : विद्या–परिषद् ने चर्चा के उपरान्त स्कूल बोर्ड की संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की।**

2. **भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 24वीं बैठक के कार्यवृत्त।**

   विश्वविद्यालय के भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 24वीं बैठक दिनांक 04.12.2025 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड का कार्यवृत्त अवलोकन/विचार–विमर्श/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

   **निर्णय : विद्या–परिषद् ने चर्चा के उपरान्त स्कूल बोर्ड की संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की।**

3. **प्रबंधन** विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की **13वीं** बैठक के कार्यवृत्त।

   विश्वविद्यालय के प्रबंधन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 13वीं बैठक दिनांक 05.01.2026 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड का कार्यवृत्त अवलोकन/विचार–विमर्श/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

   **निर्णय : विद्या–परिषद् ने चर्चा के उपरान्त स्कूल बोर्ड की संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की।**

कादर नवाज़
07/01/26

4. **मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान** विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की **23वीं** बैठक के कार्यवृत्त।
विश्वविद्यालय के मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान **विद्यापीठ** के स्कूल बोर्ड की 23वीं बैठक दिनांक 01.01.2026 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड का कार्यवृत्त अवलोकन/विचार–विमर्श/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

**निर्णय : विद्या–परिषद् ने चर्चा के उपरान्त स्कूल बोर्ड की संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की।**

5. **साहित्य** विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त।
विश्वविद्यालय के साहित्य **विद्यापीठ** के स्कूल बोर्ड की बैठक दिनांक 03.01.2026 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड का कार्यवृत्त अवलोकन/विचार–विमर्श/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

**निर्णय : विद्या–परिषद् ने चर्चा के उपरान्त स्कूल बोर्ड की संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की।**

6. **संस्कृति** विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की **30वीं** बैठक के कार्यवृत्त।
विश्वविद्यालय के संस्कृति **विद्यापीठ** के स्कूल बोर्ड की 30वीं बैठक दिनांक 03.01.2026 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड का कार्यवृत्त अवलोकन/विचार–विमर्श/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

**निर्णय : विद्या–परिषद् ने चर्चा के उपरान्त स्कूल बोर्ड की संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की।**

**मद संख्या–08: शैक्षणिक सत्र: 2026-27 से प्रभावी नयी शुल्क संरचना के निर्धारण हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन।**

विद्या-परिषद् की दिनांक 30.07.2025 को संपन्न 45वीं बैठक की मद संख्या 33 में लिये गये निर्णय के अनुसरण में विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र: 2026-27 से प्रभावी नयी शुल्क संरचना के निर्धारण हेतु कार्यालयादेश क्रमांकः 003/2019/स.नि.अनु./324/2025/246 दिनांक 09.09.2025 के माध्यम से समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा की गई अनुशंसाएँ निम्नानुसार है :

1. प्रवेशित विद्यार्थी के लिए अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग परिचय पत्र/पुस्तकालय कार्ड आदि बनाए जाते हैं। विद्यार्थी से एक ही बार परिचय पत्र शुल्क लेकर एक ही परिचय पत्र बनाया जाना चाहिए, जिससे विश्वविद्यालय के समस्त कार्यों में उपयोग किया जा सके। उक्त के संबंध में पुस्तकालय एवं परिचय पत्र जारी करने वाले विभाग से सपंर्क कर समस्त कार्यों के लिए एक ही परिचय पत्र बनाया जा सकता है। इस हेतु आवश्यक समन्वय करते हुए प्रारूप तैयार कर प्रति परिचय पत्र लागत मूल्य के आधार पर शुल्क निर्धारण किया जाएगा।
2. विद्यार्थी के प्रवेश के समय 'इंटरनेट शुल्क' (प्रति सेमेस्टर) लिया जाता है। समिति द्वारा प्रभारी लीला से प्राप्त पत्रांक :017/2025/लीला/जा.क्र./163 दिनांक 16.09.2025 का संज्ञान लिया गया, इसके अनुसार 'यह केवल इंटरनेट उपयोग तक सीमित न होकर समस्त सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं से संबंधित है।' इसलिए इस शुल्क का नाम इंटरनेट शुल्क (**Information and Communication Technology**) **ICT** शुल्क (प्रति सेमेस्टर) किया जा सकता है।
3. प्रवेशित विद्यार्थी से स्टूडियो/प्रयोगशाला/क्षेत्र कार्य/शैक्षणिक भ्रमण शुल्क के लिए पूर्व के अकादमिक सत्रों में विवरणिका के अनुसार विभाग केंद्र द्वारा आवश्यकतानुसार शुल्क निर्धारित किए जाने का उल्लेख है, जिसके कारण अलग-अलग विभागों से अलग-अलग प्रस्ताव प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर स्टूडियो/प्रयोगशाला/क्षेत्र कार्य/शैक्षणिक भ्रमण शुल्क लिया जाता है, जिससे उक्त शुल्क में एकरूपता नहीं हो

कादर नवाज़
07/01/26

पाती है, इसलिए ऐसे कार्यक्रम जिसमें क्षेत्र कार्य शैक्षणिक भ्रमण पाठ्यचर्या का भाग है, के लिए व्यय का 70% प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा एवं 30% प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जा सकता है। इंटर्नशिप हेतु व्यय पूर्णतः विद्यार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

4. यह देखा गया है कि विद्यार्थियों से चिकित्सा शुल्क (वार्षिक) लिया जा रहा है। विद्यार्थियों का बीमा कराना भी आवश्यक है अतः इस संबंध में किसी एजेंसी से संपर्क कर छात्र इंन्सुरेश पॉलिसी कराया जा सकता है, तद्नुसार शुल्क निर्धारित किया जा सकता है।
5. विश्वविद्यालय में पीएच.डी. कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शोधरत शोधार्थियों से छात्रावास शुल्क लिया जाना है अथवा नहीं इस संबंध में स्पष्ट नियम नहीं है, बल्कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों से छात्रावास शुल्क नहीं लिया जाता है। ऐसी दशा में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश/नियमों का अध्ययन कर पीएच.डी. कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोधरत शोधार्थियों को छात्रावास शुल्क नहीं लिए जाने पर विचार किया जा सकता है।
6. विद्यार्थियों से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क (वार्षिक) लिया जाता है, इसलिए विश्वविद्यालय में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाना चाहिए।
7. अकादमिक सत्र 2026-27 में शुल्क में ज्यादा परिवर्तन करना संभव प्रतीत नहीं है। आगामी अकादमिक सत्र 2027-28 के लिए समीक्षा बैठक में शुल्क में व्यापक परिवर्तन किया जाने पर विचार किया जा सकता है।

समिति का कार्यवृत्त अवलोकन/विचार–विमर्श/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

**निर्णय : कार्यवृत्त का अवलोकन कर समिति की संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की।**

मद संख्या–**09: सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा** (CUET) **के माध्यम से प्रवेश हेतु विवरण तैयार करने गठित समिति का प्रतिवेदन।**

विश्वविद्यालय में सत्र: 2026-27 में संचालित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (**CUET**) के माध्यम से प्रवेश हेतु विवरण तैयार करने तथा विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित परास्नातक स्नातकः पी.जी. डिप्लोमा डिप्लोमा सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में पंजीकरण के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार किए जाने हेतु कार्यालयादेश क्रमांक 04**A/./NTA-CUET/**प्रवेश प्रक्रिया/2025-26/3120 दिनांक 22.10.2025 के माध्यम से समिति का गठन किया गया था।

समिति ने संज्ञान में लिया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (**NTA**) द्वारा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (**CUET**) स्नातकोत्तर (**PG**) 2026-27 प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया दिनांक 14.12.2025 से प्रारंभ की गई है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के संबंध में बैठक में चर्चा उपरांत समिति द्वारा की गई अनुशंसाएँ निम्नानुसार है :

1. **CUET** स्नातकोत्तर कार्यक्रम के प्रवेश संबंधी सूचना समाचार-पत्रों में शीघ्र ही प्रसारित करना अतिआवश्यक है। राष्ट्रीय समाचार पत्र जैसे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, **The Time of India,** महाराष्ट्र के राज्य स्तरीय मराठी भाषा समाचार पत्र एवं रोजगार समाचार में प्रवेश सूचना जारी की जाए। इस कार्य हेतु श्री बी. एस. मिरगे, जनसंपर्क अधिकारी को नामित किया गया।
2. विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर **CUET** हेतु आवेदन करने के लिए मार्गदर्शन तैयार किया जाना है तथा एफ.एम. एमगिरी के माध्यम से विज्ञापन देकर प्रचार-प्रसार किये जाने एवं प्रचार-प्रसार के लिए

कादर नवाज़ 07/01/26

**Content Clip** मुद्रित प्रारूप में तैयार करने के लिए प्रो. कृपा शंकर चौबे, जनसंचार विभाग एवं डॉ. संदीप कुमार वर्मा, जनसंचार विभाग को दायित्व सौंपा जा सकता है।

3. डिजिटल मीडिया जैसे ब्लॉगर्स एवं डिजिटल कंटेन्ट डेवलपमेंट आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाए। यह देखा गया है कि विश्वविद्यालय का कुलगीत यूट्यूब पर देखा एवं सुना जाता है। अतः इसके साथ वीडियो के नीचे सरकती पट्टी पर विज्ञापन प्रसारित किया जा सकता है। इस कार्य हेतु डॉ. संदीप सपकाले, सहायक प्रोफेसर, डॉ. संदीप कुमार वर्मा, सहायक प्रोफेसर एवं डॉ. अरविंद कुमार, तकनीकी सहायक को नामित किया गया।
4. स्थानीय ब्लॉगर्स की एक बैठक आमंत्रित की जाए, जिन्हें विश्वविद्यालय के प्रचार-प्रसार संबंधी सामग्री उपलब्ध करा कर उनके ब्लॉग के माध्यम से प्रचार किया जा सकता है। इस बैठक में सहभागियों हेतु जलपान व्यवस्था रखी जाए। इस कार्य हेतु श्री बी.एस. मिरगे, जनसंपर्क अधिकारी एवं डॉ. संदीप सपकाले, सहायक प्रोफेसर को नामित किया गया।
5. विश्वविद्यालय का वेबसाइट सूचनापरक होना चाहिए तथा वेबसाइट पर प्रवेश की सूचना एवं लिंक तथा अन्य जानकारी अद्यतन होना चाहिए। इसके लिए डॉ. चंद्रशेखर पाण्डेय, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, डॉ. अंजनी राय, प्रभारी लीला, डॉ. गिरीश चंद्र पाण्डेय, कोष अनुषंगी एवं डॉ. अरविंद कुमार, तकनीकी सहायक को नामित किया गया है। इस कार्य हेतु आवश्यकता पड़ने पर बाहर से विशेषज्ञों की मदद ली जा सकती है।
6. विश्वविद्यालय में एक प्रवेश संपर्क सहायता कक्ष बनाया जाए, जिसमें टोल फ्री नम्बर ई-मेल आईडी हो, जिससे विद्यार्थियों को **CUET** हेतु आवेदन करने में आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान में सहयोग किया जा सके तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराया जा सके तथा **CUET** के माध्यम से प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के समस्त विभाग/केंद्रों में नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाये।
7. वर्धा के आसपास विदर्भ जिलों तथा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के सीमांत जिलों में स्थित स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में **CUET** के माध्यम से विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु जागरूकता प्रचार-प्रसार/सेमिनार करने हेतु शिक्षकों/कर्मियों को नामित किया जा सकता है। इस हेतु गूगल फॉर्म के माध्यम से शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों से सहमति प्राप्त की जा सकती है।
8. ऊपरिलिखित कार्य हेतु अनुमानित निम्नानुसार व्यय है:-

| | |
|---|---|
| समाचार पत्र एवं रोजगार समाचार में विज्ञापन : | ₹ 5,00,000/- (रु. पाँच लाख) |
| इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हेतु व्यय | ₹. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार) |
| ब्लॉगर्स बैठक जलपान व्यवस्था | ₹. 3,000/- (रु. तीन हजार) |
| **कुल अनुमानित** | **₹ 5,28,000/- (पाँच लाख अट्ठाईस हजार मात्र)** |

समिति का कार्यवृत्त अवलोकन/विचार–विमर्श/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (पृ.सं. – )

**निर्णय : विद्या–परिषद् ने चर्चा के उपरान्त समिति की संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की।**

क़ादर नवाज़
07/01/26

मद संख्या– 10 : **भारतीय ज्ञान परम्परा विश्वकोश प्रकाशन हेतु संक्षिप्त प्रस्ताव।**

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा भारतीय ज्ञान परम्परा, संस्कृति, भाषा एवम् साहित्य के संवर्धन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने हेतु 'भारतीय ज्ञान परम्परा विश्वकोश' के प्रकाशन की योजना प्रस्तावित कर रहा है।

यह बहु-खण्डीय विश्वकोश भारतीय दर्शन, विज्ञान, गणित, आयुर्वेद, संगीत, कला, व्याकरण, भाषाशास्त्र, सामाजिक विज्ञान एवम् पारम्परिक ज्ञान प्रणाली से जुड़े विषयों को समाहित करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान परम्परा को संरक्षित कर वैश्विक शोध समुदाय व नयी पीढ़ी के लिए प्रामाणिक सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध कराना है।

विभिन्न प्राचीन भारतीय ग्रंथों को संकलित कर आधुनिक पाठकों के लिए सुलभ और प्रासंगिक बनाया जाएगा। यह विश्वकोश वैश्विक शोध संस्थानों में भारतीय ज्ञान परम्परा की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा तथा नयी शिक्षा नीति (NEP–2020) के उद्देश्यों को भी साकार करेगा।

विश्वकोश को विभिन्न भाषाओं में अनुवादित कर डिजिटल माध्यमों (ई–बुक, वेबसाइट, मोबाइल एप) से व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराया जाने का प्रस्ताव है।

**निर्णय : विद्या–परिषद् ने प्रस्ताव का अवलोकन किया और भारतीय ज्ञान परम्परा विश्वकोश के निर्माण एवं प्रकाशन के वित्त पोषण के लिए शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ-साथ भारतीय ज्ञान प्रणाली** (Indian Knowledge System), **केन्द्रीय हिंदी संस्थान, केन्द्रीय हिंदी निदेशालय को प्रस्ताव प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।**

**मद संख्या–11: अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।**

**विद्यार्थी प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार**

| **अ.क्र.** | **प्रस्ताव** | **निर्णय** |
|---|---|---|
| 1. | **स्टूडेंट फंड के उपयोग का विषय**<br>विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक छात्र से विभिन्न मदों में स्टूडेंट फंड लिया जाता है, लेकिन उसके उपयोग को लेकर छात्रों में स्पष्टता नहीं है। निवेदन है कि स्टूडेंट फंड का उपयोग पारदर्शी रूप से हो, उसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि यह फंड केवल छात्र हित के कार्यों में ही व्यय हो। | अध्यक्ष की अनुमति से वित्त अधिकारी और अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण ने अवगत कराया कि स्टूडेंट फंड का उपयोग विद्यार्थियों के लिए ही किया जाता है। |
| 2. | **सिंगल विंडो NOC / No Dues प्रणाली**<br>वर्तमान व्यवस्था में छात्रों को NOC या No Dues के लिए कई विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे समय और ऊर्जा दोनों की हानि होती है। मांग है कि एक सिंगल विंडो तथा ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जाए, जिससे छात्रों को अनावश्यक परेशानी न हो। | व्यावहारिक नहीं है। |
| 3. | **CUET UG-PG पंजीकरण शुल्क**<br>CUET UG एवं PG में हर बार अलग-अलग पंजीकरण शुल्क लिया जाना छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालता है। निवेदन है कि विश्वविद्यालय स्तर पर इसमें राहत अथवा कोई स्थायी समाधान निकाला जाए। | CUET UG-PG पंजीकरण शुल्क राशि ₹ 500/- से ₹ 200 /- करने का निर्णय लिया गया। |

कादर नवाज़ 07/01/26

| | | |
|---|---|---|
| 4. | **विश्वविद्यालय की पत्रिकाएँ (बहुवचन एवं पुस्तक वार्ता)**<br>माननीय सदस्यों, विश्वविद्यालय से प्रकाशित होने वाली पत्रिका "बहुवचन" एवं "पुस्तक वार्ता" में हमारे विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को समुचित स्थान नहीं मिल पा रहा है। जब शोधार्थी अपने लेख भेजते हैं, तो यह कह दिया जाता है कि केवल आमंत्रित लेख ही प्रकाशित होते हैं। साथ ही, आगामी अंकों की कोई सूचना भी शोधार्थियों को नहीं दी जाती। निवेदन है कि विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को आगामी अंकों की सूचना दी जाए दोनों पत्रिकाएँ नियमित समय पर प्रकाशित हों<br><br>यदि शोधार्थियों के लेख कमजोर पाए जाएँ, तो संपादक उन्हें तभी स्वीकार करें जब शोध निर्देशक लेख की मौलिकता एवं प्रकाशन हेतु स्वयं संतुष्ट होकर अनुशंसा करें। | विद्यार्थियों, शोधार्थियों के लेख प्रकाशित करने के लिए एक वार्षिक /छमाही शोध पत्रिका प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। |
| 5. | **Earn by Learn योजना**<br>Earn by Learn योजना को पूर्व में विद्या परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रारंभिक समय में यह योजना कुछ अवधि तक संचालित भी हुई, लेकिन बाद में इसे बिना किसी स्पष्ट कारण के बंद कर दिया गया। वर्तमान समय में यह योजना पूर्णतः निष्क्रिय है, जिसके कारण छात्रों को इससे कोई भी शैक्षणिक या आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह योजना विशेष रूप से उन छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी थी, जो अपनी पढ़ाई के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयासरत हैं। अतः मेरी स्पष्ट मांग है कि इस योजना को तत्काल प्रभाव से पुनः प्रारंभ किया जाए, अधिक से अधिक छात्रों को इससे जोड़ा जाए तथा इसे सभी विभागों में प्रभावी और नियमित रूप से लागू किया जाए, ताकि छात्र स्वाभिमान के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकें। | प्रक्रियाधीन है। |
| 6. | **UGC/NET/UPSC कोचिंग**<br>एक वर्ष पूर्व इन प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए नोटिस जारी हुआ था, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। निवेदन है कि शीघ्र कोचिंग कक्षाएँ प्रारंभ की जाएँ, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को लाभ मिल सके। | महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के **डॉ. अंबेडकर सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस (DACE)** एवं डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के साथ पूर्व में किये गये समझौता ज्ञापन (एमओयू) के आधार पर 'Scheme of Free Coaching for SCs, STs, OBCs and beneficiaries of PM CARES Children Scheme' 2024-25 के आलोक में विश्वविद्यालय में नि:शुल्क कोचिंग कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डॉ. |

कादर नवाज़
07/01/2

| | | |
|---|---|---|
| | | अंबेडकर फाउंडेशन, डॉ. अंबेडकर सेन्टर फॉर एक्सीलेंस (DACE), 15, जनपथ, नई दिल्ली से अनुरोध किया गया है। |
| 7. | **एनरोलमेंट नंबर के संदर्भ में**<br>विश्वविद्यालय में प्रत्येक छात्र की पहचान के लिए एक ही स्थायी एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में स्थिति यह है कि एक ही छात्र को अलग-अलग पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग एनरोलमेंट नंबर जारी कर दिए जाते हैं जैसे डिग्री कोर्स का अलग, सर्टिफिकेट कोर्स का अलग और डिप्लोमा का अलग।<br><br>इस व्यवस्था के कारण छात्रों को परीक्षा फॉर्म, स्कॉलरशिप, प्रमाण-पत्र, डिजीलॉकर एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।<br><br>अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की भांति हमारे विश्वविद्यालय में भी प्रत्येक छात्र के लिए एक ही यूनिक और स्थायी एनरोलमेंट नंबर की व्यवस्था लागू की जाए, ताकि प्रशासनिक प्रक्रिया सरल हो और छात्रों को अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति मिले। | सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत प्रवेश होने के कारण एक ही यूनिक और स्थायी ABC-ID जारी किया जा रहा है। |
| 8. | **मूलभूत सुविधाएँ - वाटर कूलर**<br>कई विभागों एवं छात्रावासों में वाटर कूलर या तो खराब हैं या पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।<br>निवेदन है कि सभी स्थानों पर स्वच्छ पेयजल की उचित व्यवस्था की जाए। | संबंधित को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। |
| 9. | **पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी**<br>पुस्तकालय में नई एवं पर्याप्त पुस्तकों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।<br>मांग है कि पाठ्यक्रम के अनुसार नई पुस्तकों की व्यवस्था की जाए। | अतिआवश्यक पुस्तकों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने हेतु विद्यार्थी प्रतिनिधि को कहा गया। |
| 10. | **इतिहास विभाग में गेस्ट फैकल्टी**<br>इतिहास विभाग में गेस्ट फैकल्टी की कमी के कारण नियमित अध्ययन प्रभावित हो रहा है। निवेदन है कि शीघ्र आवश्यक नियुक्तियाँ की जाएँ। तथा आवागमन की उचित सुविधा उपलब्ध कराई जाए,<br><br>ताकि वे बिना अतिरिक्त शारीरिक एवं मानसिक दबाव के अपनी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। अतः यह निवेदन है कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उपरोक्त सभी व्यवस्थाएँ | इतिहास विभाग में कक्षाओं हेतु पहले ही स्थायी शिक्षकों को कर्तव्यस्थ किया गया है। |

क़ादर नवाज़
07/01/26

| | | |
|---|---|---|
| | संवेदनशीलता एवं मानवीय दृष्टिकोण के साथ सुनिश्चित की जाएँ, जिससे उन्हें समान अवसर और सम्मान के साथ शिक्षा प्राप्त हो सके। | |
| 11. | **प्लेसमेंट सेल की निष्क्रियता**<br>प्लेसमेंट सेल अपेक्षित रूप से सक्रिय नहीं है, जिससे छात्रों के भविष्य पर प्रभाव पड़ रहा है। मांग है कि प्लेसमेंट सेल को प्रभावी एवं सक्रिय बनाया जाए। | प्लेसमेंट हेतु प्रत्येक विभाग से नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं। |
| 12. | **PhD 2021-22 बैच से संबंधित विषय**<br>PhD 2021-22 बैच से जुड़ी कई प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी हो रही है। निवेदन है कि इन प्रक्रियाओं को शीघ्र पूर्ण किया जाए। | इस पर कार्यसूची की मद संख्या 2(12) में चर्चा हो चुकी है। |
| 13. | **विश्वविद्यालय की डायरी एवं कैलेंडर**<br>छात्रों को विश्वविद्यालय की डायरी एवं कैलेंडर पूर्व में मिलते है लेकिन वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। मांग है कि यह प्रत्येक छात्र तक सुनिश्चित रूप से पहुँचें। | वर्ष 2026 के लिए कैलेंडर विमोचन दिनांक 08.01.2026 को स्थापनोत्सव के अवसर पर किया जाना प्रस्तावित है। |
| 14. | **14. दिव्यांग विद्यार्थियों के संदर्भ में विशेष व्यवस्था**<br>विश्वविद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए राइटर की व्यवस्था एवं उनके मेहनताना को लेकर वर्तमान में कोई स्पष्ट और एकरूप व्यवस्था नहीं है। इसके अभाव में दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा एवं शैक्षणिक कार्यों में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निवेदन है कि विश्वविद्यालय स्तर पर राइटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, राइटर के चयन की प्रक्रिया स्पष्ट हो तथा उनके लिए उचित एवं निश्चित मेहनताना निर्धारित किया जाए, जिससे दिव्यांग विद्यार्थियों को समय पर सहयोग मिल सके।<br><br>इसके अतिरिक्त, शिक्षा विभाग में B.Ed एवं M.Ed पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों को ऑब्ज़र्वेशन हेतु स्कूल जाना अनिवार्य होता है। उनकी शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि- विश्वविद्यालय परिसर में स्थित केंद्रीय विद्यालय में उन्हें प्राथमिकता दी जाए, अथवा उनके लिए नजदीकी विद्यालय निर्धारित किया किया जाए. | दिव्यांग छात्र द्वारा लेखक स्वयं लाया जाएगा इसके पारिश्रमिक निर्धारण हेतु समिति गठित किए जाने का निर्णय लिया गया। |
| 15. | **15. विद्या परिषद एवं कार्य परिषद के निर्णय (Minutes)**<br>विद्या परिषद एवं कार्य परिषद के निर्णयों के Minutes नियमित रूप से वेबसाइट पर अपलोड नहीं होते, जिससे पारदर्शिता प्रभावित होती है। निवेदन है कि सभी Minutes समय पर सार्वजनिक किए जाएँ। | पदेन सचिव ने अवगत कराया कि व्यावहारिकता के कारण कार्य-परिषद की बैठक के कार्यवृत्त समर्थ पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। |
| 16. | **16. CCTV कैमरे**<br>कई स्थानों पर CCTV कैमरे या तो खराब हैं या लगे ही नहीं हैं। निवेदन है कि सभी संवेदनशील स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जाएँ। | अवगत कराया गया कि कार्यवाही जारी है। |

कादर नवाज़
07/01/26

| | | |
|---|---|---|
| 17. | **17. छात्र संघ की बहाली का विषय**<br>माननीय कुलपति महोदया एवं विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, विश्वविद्यालय में जब शिक्षकों के हितों, सऽमस्याओं और अधिकारों के संरक्षण के लिए शिक्षक संघ की आवश्यकता मानी जाती है और उसे मान्यता दी गई है, तो उसी तर्क और आधार पर यह भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए छात्र संघ को भी बहाल किया जाए।<br><br>छात्र विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण वर्ग हैं। यदि शिक्षकों को अपनी बात रखने के लिए एक संगठित मंच आवश्यक है, तो छात्रों को भी अपनी शैक्षणिक, प्रशासनिक और मूलभूत समस्याओं को लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से रखने का अधिकार मिलना चाहिए।<br><br>अतः छात्रों की स्पष्ट और सामूहिक मांग है कि विश्वविद्यालय में शीघ्र छात्र संघ की बहाली की जाए, ताकि छात्र अपनी समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं को एक जिम्मेदार, अनुशासित और संवादात्मक मंच के माध्यम से प्रशासन तक पहुँचा सकें। इससे न केवल छात्रों का हित सुरक्षित होगा, बल्कि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण भी अधिक स्वस्थ और लोकतांत्रिक बनेगा। | विद्या-परिषद द्वारा विद्यार्थियों को नामित करने की प्रचलित प्रक्रिया को जारी रखने का निर्णय लिया गया। |
| 18. | **18. सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकार छात्रों के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था**<br><br>विश्वविद्यालय के किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कलाकार छात्र कई दिनों, बल्कि कई सप्ताहों तक निरंतर अभ्यास करते हैं। वे प्रतिदिन कई-कई घंटे अपना समय और श्रम लगाते हैं। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि कोई भी सांस्कृतिक प्रस्तुति कुछ घंटों या एक दिन में तैयार नहीं होती, बल्कि उसके पीछे निरंतर अनुशासन, समर्पण और कठोर परिश्रम होता है।<br><br>ऐसे में अभ्यास के लंबे समय के दौरान कलाकार छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा बनाए रखने के लिए जलापान अथवा न्यूनतम रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक हो जाती है। यह कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि उनकी मेहनत के सम्मान और प्रोत्साहन का प्रतीक है।<br><br>अतः कलाकार छात्रों की ओर से विनम्र किंतु महत्वपूर्ण निवेदन है कि विश्वविद्यालय द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी एवं अभ्यास अवधि के दौरान जलापान/रिफ्रेशमेंट की न्यूनतम व्यवस्था | पदेन सचिव ने अवगत कराया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करने वाले विद्यार्थियों के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की जाती है। |

कादर नवाज़
07/01/26

| | | |
|---|---|---|
| | सुनिश्चित की जाए, जिससे छात्र पूरे उत्साह और मनोयोग के साथ विश्वविद्यालय का नाम गौरवान्वित कर सकें। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इन विषयों पर गंभीरता से विचार कर छात्रों के ठोस सुत्रं समयबद्ध निर्णय लिए जाएँ। छात्र विश्वविद्यालय की आत्मा हैं, और उनकी समस्याओं का समाधान ही विश्वविद्यालय को सशक्त बनाएगा। | |

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

क़ादर नवाज़ 07/01/26

**(क़ादर नवाज़ ख़ान)**

कुलसचिव (कार्यवाहक) एवम्

पदेन सचिव : विद्या–परिषद्

म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा